REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्टी सं० डी० एल०-33004/99

# Ine Gazette of India असाधारण

**EXTRAORDINARY** 

भाग II--खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2012/माघ 25, 1933	
No. 242]	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2012/MAGHA 25, 1933	

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2012

का.आ. 276(अ).---केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के क्रमश: स्तंभ (1) और स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक और पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक के, सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट सेक्शन के नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (4) में यथा-विनिर्दिष्ट सडक खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात :----

	· · ·	सारणी		
नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	पुरानी राष्ट्रीय राजमार्ग सं	खड		किलोमीटर में खंड
(1)	(2)	(3)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(4)
5 और 205	21	पंजाब राज्य में चंडीगढ़ से कुराली		कि.मी. 0.870 से कि.मी. 1.680 ( पंजाब/चंडीगढ़ सीमा) तक और कि.मी 6.800 ( चंडीगढ़/ पंजाब सीमा) से कि.मी. 28.600
5	21 (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग)	चडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में		15.275 कि.मी.

[फा. सं. एनएच-14013/19/2011-पी एंड एम]

े माया प्रकाश, उप-संचिव

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

### New Delhi, the 14th February, 2012

S.O. 276(E).-In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches, specified in column (4) of the Table below, of the Section as specified in the corresponding entry in column (3) of the Table, of the New National Highway No. and the Old National Highway No. as specified in the corresponding entry in columns (1) and (2) respectively of the Table, to 469 GI/2012 (1)

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

the National Highways Authority of India, namely:-

[PART II --- SEC. 3(ii)]

	•	TABLE		
New National Highway No.	Old National Highway No.	Section		Stretches in kilometers
(1)	(2)	(3)		(4)
5 and 205	21	Chandigarh to Kurali in the State of Punjab		From km, 0.870 to km, 1.680 (Punjab/Chandigarh Border) and from km, 6.800 Chandigarh/ Punjab Border) to km, 28.600
5	21 (Complete National Highway in the Union Territory of Chandigarh		, - -	15.275 km.
	<b>_</b>	· · ·		[F.No. NH-14013/19/2011-P& M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

### अधिसूचना

### नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2012

का.आ. 277(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 20 और 26 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :---

"20	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 [कि.मी. 212.000 से कि.मी. 387.100 (हरियाणा/पंजाब सीमा से जालंधर),	पंजाब राज्य
	और कि.मी. 407.100 से कि.मी. 491.330 (जालंधर-अमृतसर-वाघा सीमा) तक को छोड़कर],	सरकार
	स. 10, सं. 15 [कि.मी. 6.082 से कि.मी. 108.502 (पठानकोट-अमृतसर खंड) तक को छोड्कर],	:
	सं. 20, सं. 21 [कि.मी. 0.000 से कि.मी. 1.680 और कि.मी. 6.800 से कि.मी. 73.200 (चंडीगढ़/	
	पंजाब सीमा-कुराली-कीरतपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 22 [कि.मी. 10.890 से कि.मी. 39.960	
	और कि.मी. 39.860 से कि.मी. 41.945 (जीरकपुर-पंजाब/हरियाणा सीमा) तक खंड को छोड़कर],	
	सं. 64, सं. 70, सं. 71 और सं. 95 (कि.मी. 92.000 से कि.मी. 170.000 (लुधियाना-तलवंडी) तक	. •
•	खंड को छोड़कर], का उतना भाग जो पंजाब राज्य में अवस्थित है।	

26	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं।		चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सरकार ''

[फा. सं. एनएच-14013/19/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप–सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना सं का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पिछली बार सं का.आ. 2573(अ), 14 नवम्बर, 2011 द्वारा संशोधित की गई थी।

### NOTIFICATION

### New Delhi, the 14th February, 2012

S.O. 277(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in

[ भाग II-खण्ड 3(ii)]

## भारत का राजपत्र : असाधारण

the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the Schedule to the said notification, for serial numbers 20 and 26 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:----

<b>''2</b> 0	So much of National Highway Number 1 [excluding from km.212.000	State Government
	to km. 387.100 (Haryana/Punjab Border to Jalandhar) and from km. 407.100	of Punjab
	to km. 491.330 (Jalandhar-Amritsar-Wagha Border)], No. 10, No. 15 [excluding	
	from km. 6.082 to km. 108.502 (Pathankot-Amritsar Section)], No. 20, No. 21	
	[excluding from km, 0.000 to km, 1.680 and from km, 6.800 to km, 73.200	
	(Chandigarti/Punjab Border-Kurali-Kiratpur)], No. 22 [excluding from km. 10.890	· · ·
	to km. 39.960 and from km. 39.860 to km. 41.945 (Zirakpur-Punjab/Haryana	and the second second second
· .	Border)], No. 64, No. 70, No. 71 and No. 95 [excluding from km. 92.000 to	
	km. 170.000 (Ludhiana-Talwandi)] as are situated within the State of Punjab.	

26 No National Highway within the Union Territory of Chandigarh.

Govt. of Union Territory of Chandigarh."

### [F.No. NH-14013/19/2011-P& M]

### MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote : The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 2573(E), dated the 14th November, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Cootroller of Publications, Delhi-110054. - 3